# Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA)

# विभिन्न दिशा–निर्देश एवं मार्गनिर्देशिका


स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुवनेशन ऑथोरिटी (SARRA)

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड

इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)

कार्यालय– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन आथॉरिटी (SARRA),
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी, देहरादून।
फोन नं0 0135– 2760170Email-sarrauttarakhand@gmail.com ; wmd-ua@nic.in

पत्रांकः 525 /46-(6)/SARRA/ 2025-26 देहरादूनः दिनांकः 26 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड ।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग,उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता, लघुसिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान विभाग, उत्तराखण्ड।
8. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
9. उपाध्यक्ष, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण।
10. उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
11. नगर आयुक्त, देहरादून।
12. नगर आयुक्त, हरिद्वार।
13. नगर आयुक्त, हल्द्वानी।

**विषयः–राज्यान्तर्गत संचालित जल संरक्षण अभियान 2025 अन्तर्गत जल स्रोत एवं वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों के पुनर्जीविकरण तथा भू–जल रिचार्ज के दृष्टिगत रिचार्ज पिट/साफ्ट हेतु लक्ष्य निर्धारण कर साप्ताहिक प्रगति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप विदित हैं कि दिनांक 28 मार्च, 2025 को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्यान्तर्गत संचालित किए जाने हेतु जल संरक्षण अभियान 2025 का सुभारम्भ किया जा चुका है। जिस क्रम में दिनांक 23 अप्रैल, 2025 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में SARRA की तृतीय HPC की बैठक भी की जा चुकी है। उक्त बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रत्येक स्तर–ग्राम पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद पर जल संरक्षण अभियान 2025 को क्रियान्वित किए जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त निर्देशों के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि विभागान्तर्गत आच्छादित समस्त जनपदों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जल स्रोत, विकासखण्ड स्तर पर Critical जल स्रोतों, के उपचार तथा जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद से न्यूनतम 20 वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों के पुनर्जीविकरण हेतु चिन्हिकरण कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए साप्ताहिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर जनपद स्तरीय SARRA Centre के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिस हेतु पूर्व में SARRA मुख्यालय के पत्रांक संख्या 509/46–6 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 द्वारा जल संरक्षण अभियान के कियान्वयन एवं संचालन हेतु दिशानिर्देश भी जनपदों को प्रेषित किए जा चुके है। दिशानिर्देशों सहित प्रेषित प्रारूप–01, 02 व 03 पर उपचार हेतु लक्षित स्रोतों एवं वर्षा आधारित नदियों की जियोमैपिंग हेतु डेटा भी साप्ताहिक प्रगति सहित प्रेषित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भू–जल रिचार्ज के दृष्टिगत क्षेत्र चयन कर रिचार्ज पिट/साफ्ट हेतु लक्ष्य निर्धारण कर जनपद स्तरीय SARRA Centre के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेगें। उक्त कार्य राज्यान्तर्गत जल सम्पदा के संचय एवं संरक्षण हेतु अति–महत्वूपर्ण है। अतः निर्धारित लक्ष्य एवं सापेक्ष प्रगति निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 01 मई, 2025 से साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराने हेतु जनपदों को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी SARRA
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

<u>पत्रांकः 525 / 46-(6)/SARRA/ 2025-26तद्दिनॉकित</u>

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA, उत्तराखण्ड महोदय से प्राप्त निर्देशों के कम में सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,SARRA
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

<u>पत्रांकः 525 / 46-(6)/SARRA/ 2025-26तद्दिनॉकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति SARRA, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति SARRA, उत्तराखण्ड।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,SARRA
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

# जल संरक्षण अभियान–2025

राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों के जल प्रवाह पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा मानव निर्मित कारकों के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को आधुनिक तकनीक से प्रबंधन एवं विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के मध्य प्रभावकारी समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु शासनादेश संख्या 169384 / 2023–07(05)(XIII-A-1)/2023 दिनांक 17 नवम्बर, 2023 द्वारा राज्य स्तरीय Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) का गठन एवं संरचना स्वीकृत की गयी है।

इस परिपेक्ष्य में नवगठित Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) के माध्यम से विगत वर्ष में राज्यान्तर्गत जल संरक्षण अभियान 2024 का सफल आयोजन किया गया था। इस अभियान द्वारा राज्यान्तर्गत विभिन्न रेखीय विभागों / समस्त जनपदों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा **लगभग 3.21 मिलियन घन मीटर वर्षा जल संग्रहण** क्षमता का सृजन किया गया था।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्यान्तर्गत **जल संरक्षण अभियान 2025** गतिमान हैं। जल संरक्षण अभियान के महत्व को देखते हुये, इसमें अधिक से अधिक जन समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। अभियान की सफलता तथा अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु State SARRA Centre (राज्य स्तरीय मुख्यालय) द्वारा जल संरक्षण व सवंर्द्धन गतिविधियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष जल संरक्षण अभियान 2025 के क्रियान्वयन / संचालन निम्न प्रक्रियानुसार किया जाना है :–

**जल संरक्षण अभियान 2025 की योजना**

**यह अभियान तीन स्तरों पर क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।** इस अभियान में **ग्राम स्तर से जनपद एवं राज्य स्तर पर** सभी हितभागियों को सम्मिलित किया जायेगा। यह अभियान प्रत्येक ग्राम स्तर पर चिन्हित जल स्रोतों के पुनरोद्धार कार्य करेगा, विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न 10 Critical जल स्रोत जिन पर पेयजल की विभिन्न योजनाएं आधारित हैं और इनका स्राव कम हो गया है को उपचारित किया जायेगा तथा जनपद स्तर पर 20 Critical Streams को चिन्हित कर उपचार किया जाना प्रस्तावित है। इस अभियान में समस्त सम्बन्धित रेखीय विभाग, जनपद स्तर पर समन्वय / केन्द्राभिसरण कर इस जल संरक्षण अभियान 2025 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

**(01)–जल संरक्षण अभियान 2025–(ग्राम स्तर पर)**–प्रत्येक जनपद द्वारा विभिन्न राजस्व ग्रामों में जल संरक्षण अभियान के अन्तर्गत ऐसे जल स्रोतों को चिन्हित किया जायेगा जिनमें विगत वर्षों में जल प्रवाह में कमी परिलक्षित हुई है, विभिन्न रेखीय विभागों यथा ग्राम विकास, पंचायती राज, पेयजल निगम, जल संस्थान आदि द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से इन जल स्रोतों के जल संग्रहण क्षेत्र में उपचार कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

जलस्रोतों के चयन में समुदाय की पेयजल हेतु निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता दिया जाना उचित रहेगा। विभिन्न रेखीय विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार चयनित जल स्रोतों की उपचार

योजना के लक्ष्यों एवं सापेक्ष प्रगति हेतु प्रारूप–1 में सूचना जनपद स्तरीय SARRA कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

इस वर्ष जल संरक्षण अभियान 2025 में अभिनव पहल के रूप में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यान्तर्गत **"धारा मेरा–नौला मेरा–गांव मेरा–प्रयास मेरा"** Theme को व्यापक रूप से प्रचारित करने हेतु **"भगीरथ मोबाईल एप"** को अधिकाधिक जन समुदाय तक पहुंचाया जायेगा, जिसका प्रयोग समुदाय द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने ग्रामों में Critical जल स्रोतों के चिन्हीकरण हेतु किया जायेगा। जिससे की आम जन मानस द्वारा राज्य के Critical जल स्रोतों को उपचार हेतु चिन्हित करने में अपनी भागीदारी प्रदान की जा सकेगी।

उक्त **"भगीरथ मोबाईल एप"** के माध्यम से जनसमुदाय द्वारा चिन्हित लगभग 2000 जल स्रोतों को प्रथम चरण में उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। इन जल स्रोतों के उपचार हेतु Springshed Management Plan, निर्मित कर उपचार गतिविधियां सम्पादित की जायेगी। जिस हेतु उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रारूप–2 में ही सूचना प्रदान की जायेगी।

**(02)–जल संरक्षण अभियान 2025–(विकासखण्ड स्तर पर)**

प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर पेयजल निगम एवं जल संस्थान ऐसी योजनाओं को चिन्हित करेंगे, जो पेयजल उपलब्धता हेतु महत्वपूर्ण हों तथा जिनमें विगत वर्षों में जलप्रवाह में कमी परिलक्षित हुई हो। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर ऐसे **10 चिन्हित किये गये** Critical **जल स्रोतों** के जल संग्रहण क्षेत्रों का उपचार जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार पूरे राज्य में अभियान के अंतर्गत **लगभग 780** Critical **जल स्रोतों** के जल संग्रहण क्षेत्र में उपचार गतिविधियां की जायेगी।

यदि ऐसे स्रोतों को उपचार हेतु Springshed Management Plan, को SARRA कंवर्जेन्स के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो तो, सम्बन्धित विभाग SARRA कंवर्जेन्स हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप स्वीकृती प्राप्त करते हुए, इन स्वीकृत प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्मित कर जल स्रोत के जल संग्रहण क्षेत्र में Potential Recharge Area में गतिविधियां आगामी माहों में सम्पादित करेंगे।

बिन्दु–01 व 02 में ग्राम स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर चयनित, ऐसे जल स्रोतों की उपचार सम्बन्धित सूचना–उपचार योजना के लक्ष्यों एवं सापेक्ष प्रगति हेतु प्रारूप–01 एवं 02 में सूचना जनपद स्तरीय SARRA कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

**(03)–जल संरक्षण अभियान 2025–(जनपद स्तर पर)–**

प्रत्येक जनपद हेतु लक्षित **20 सहायक नदियों** (Streams) को चिन्हित कर इनके कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण एवं सवंर्द्धन हेतु विभिन्न गतिविधियां सम्पादित की जायेगी। इस आधार पर जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत पूरे राज्य में लगभग **260 सहायक नदियों** (Streams) का उपचार किया जायेगा।

जनपद स्तर पर चिन्हित **सहायक नदियों** (Streams) के उपचार हेतु सम्बन्धित सूचना–उपचार योजना के लक्ष्यों एवं सापेक्ष प्रगति हेतु प्रारूप–3 में सूचना जनपद स्तरीय SARRA कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत ग्राम स्तर, विकासखण्ड स्तर तथा जनपद स्तर पर उक्तानुसार किये जाने वाले विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का नियोजन तथा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष, प्रगति का अनुश्रवण जिलाधिकारी स्तर से निरंतर किया जायेगा।

**जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत ग्राम, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर जिन जल स्रोतों/धाराओं को उपचार हेतु चिन्हित किया जायेगा, उनकी जियो टैगिंग एवं स्राव/बहाव को उपचार गतिविधियों को कियान्वित करने से पूर्व मापा जायेगा, ताकि उपचार गतिविधियों से स्रोतों/Streams के स्राव/बहाव में पड़े प्रभाव को आंकलित किया जायेगा।**

**जल संरक्षण अभियान 2025 के अन्तर्गत जन–भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इस वर्ष निम्न गतिविधियां क्रियान्वित की जायेंगी–**

- **''भगीरथ मोबाईल एप'' द्वारा चिन्हिकरण**

1. राज्यान्तर्गत जल संरक्षण अभियान में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर समुदाय की भागीदारी तथा सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
2. इस हेतु SARRA द्वारा **''भगीरथ मोबाईल एप''** विकसित किया गया है, जिसका प्रयोग समुदाय द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने ग्रामों में Critical जल स्रोतों के चिन्हीकरण हेतु किया जायेगा।
3. **''धारा मेरा–नौला मेरा–गांव मेरा–प्रयास मेरा''** Theme को राज्यान्तर्गत व्यापक रूप से प्रचारित करते हुए **''भगीरथ मोबाईल एप''** को अधिकाधिक जन समुदाय तक पहुंचाया जायेगा।
4. राज्य के Critical जल स्रोतों को उपचार हेतु चिन्हित करने हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ''भगीरथ मोबाईल एप'' के QR Code के व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु आवश्यक गतिविधियां की जायेगी।

➢ **क्षमता विकास**

1. **जल संरक्षण अभियान 2025** हेतु जल स्रोतों के उपचार हेतु क्षमता विकास किये जाने हेतु प्रथम चरण में 200 ग्राम पंचायतों हेतु क्षमता विकास कार्यशालाएं आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।
2. क्षमता विकास कार्यशालायें पंचायती राज विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रत्येक जनपद में पंचायती राज विभाग द्वारा उन ग्राम पंचायतो को चिन्हित किया जायेगा, जिनमें जल संरक्षण संवर्धन गतिविधियों की आवश्यकता हो, इन ग्रामों के 4 से 5 व्यक्तियों को क्षमता विकास हेतु चिन्हित किया जाये।

➢ **मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा जन–भागीदारी**

1. जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां माह मई 2025 से मानसून अवधि तक कियान्वित की जायेगी, परंतु इस अभियान में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 01 अप्रैल 2025 से जल संरक्षण अभियान हेतु **''गांव मेरा–नौला मेरा–धारा मेरा–प्रयास मेरा''** Camping को राज्यान्तर्गत व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना प्रस्तावित है।
2. इस अवधि में जनपद/विकासखण्ड/ग्राम स्तर पर मा0 जन प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों में उपचार के कार्यों में सहभागिता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है, जिससे कि आम जनमानस इस महत्वपूर्ण एवं सम–सामयिक अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी करते हुए, इसे सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान कर सकें।
3. इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों की सहभागिता भी इस अभियान के व्यापक सफलता हेतु ली जायेगी।

➢ **व्यापक जन सहभागिता एवं प्रचार–प्रसार –**

1. जनपद मुख्यालय तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों में जल संरक्षण जागरूकता रेलियों का आयोजन किया जाना।
2. जनपद मुख्यालय तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों में जल संरक्षण सम्बन्धी प्रतियोगी पेन्टिंग प्रतियोगिता या अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाना तथा 05 विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाना।
3. जनपद से 05 चयनित पेन्टिगं को राज्य स्तर पर चयन कर पुरस्कृत करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु SARRA द्वारा धनराशि सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करायी जायेगी।

## जल संरक्षण अभियान 2025 कार्यक्रम की रूप रेखाः–

| दिनांक / माह | प्रस्तावित कार्यक्रम |
|---|---|
| **28 अथवा 29 मार्च 2025** | • **मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा "भगीरथ मोबाईल एप" का लोकार्पण।**<br>• **मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा प्रथम एक दिवसीय ग्राम पंचायत स्प्रिंगशैड प्रबन्धन कार्यशाला का शुभारम्भ।**<br>• जिसमें विभिन्न जनपदों की लगभग 50 ग्राम पंचायतों के 250 प्रतिनिधियों एवं जल संरक्षण तथा संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया जाना। |
| **माह अप्रैल 2025** | • **"धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा"** Theme को राज्यान्तर्गत व्यापक रूप से प्रचारित करते हुए समुदाय हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन।<br>• रेखीय विभागों यथा–पेयजल, सिंचाई, जलसंस्थान इत्यादि द्वारा क्षेत्रान्तर्गत Critical जलस्रोतों का चिन्हिकरण कर उपलब्ध कराया जाना।<br>• ग्राम, विकासखण्ड तथा जनपद स्तर पर उपचार कार्यों का चिन्हिकरण एवं कार्ययोजना निरूपण। |
| **01 मई से 05 मई 2025 तक** | • विभिन्न स्तरों पर अर्न्तविभागीय समन्वय / केन्द्राभिसरण के पश्चात् विभिन्न विभागों हेतु लक्ष्य निर्धारण, तथा क्षमता विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन। |
| **06 मई से 31 मई 2025 तक** | • विभिन्न स्तरों पर चिन्हित ग्रामों / स्रोतों / सहायक नदियों–धाराओं में उपचार कार्यों को प्रारंभ किया जाना तथा सम्बन्धित हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन। |
| **'जल उत्सव सप्ताह'**<br>**01 जून से 15 जून 2025 तक** | • विभिन्न जनपदों में मा0 मंत्रीगणों द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 में भागीदारी।<br>• विकासखण्ड स्तरीय जन प्रतिनिधियों एवं जन समुदाय द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 में भागीदारी।<br>• ग्राम स्तर पर विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों एवं जन समुदाय द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 में भागीदारी।<br>• विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों जागरूकता रैली आदि का विभिन्न स्तरों पर आयोजन।<br>• विभिन्न स्तरों पर जन सहभागिता एवं जागरूकता के दृष्टिगत क्षमता विकास के कार्यक्रमों का आयोजन। |
| **माह–जून एवं माह–जुलाई 2025** | • उपचार कार्यों का क्रियान्वयन। |
| **माह–जुलाई से माह–अगस्त 2025 तक** | • वृक्षारोपण गतिविधियों का क्रियान्वयन। |
| **माह दिसम्बर 2025 एवं जनवरी 2026** | • उपचारित जल स्रोतों के स्राव / बहाव का मापन। |
| **माह जून 2026** | • उपचारित जल स्रोतों के स्राव / बहाव का मापन। |

## SARRA अंतर्गत जल स्रोतों एवं वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों/धाराओं के उपचार हेतु कार्य योजना प्रस्तावो के चयन, प्राथमिकता निर्धारण, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया

स्प्रिंगशैड एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) का गठन उत्तराखण्ड कैबिनेट के अनुमोदन उपरान्त शासनादेश संख्या 169384/2023 -07 (05)(XIII-A-1) 2023 दिनांक 17 नवम्बर 2023 द्वारा किया गया था। राज्य स्तर पर SARRA के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में जलागम विभाग के अधीन कार्य सम्पादित करेगी। SARRA अंतर्गत राज्य के विभिन्न जल स्रोतों यथा–वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों/धाराओं, जलाशयों, तालाबों, भू–जल आदि के उपचार हेतु कार्य योजनाओं/प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु प्रकिया निम्नवत होगीः–

### 1. जल स्रोतों का आंकलन एवं उपचार हेतु वरीयता निर्धारणः–

जनपद स्तर पर विभिन्न जल स्रोतों यथा स्प्रिंग एवं सहायक नदियों आदि की स्थिति का आंकलन करते हुए वरियता निर्धारित कर, उपचार हेतु चयनित किया जायेगा। SARRA द्वारा विभिन्न जल स्रोतों यथा–स्प्रिंग एवं सहायक नदियों आदि के उपचार हेतु चयन एवं वरीयता निर्धारण के विस्तृत मानक संलग्नक–1 में उल्लेखित किये गये हैं, जिनके आधार पर जनपद पर उपचार हेतु जल स्रोतों का चयन कर सकते हैं।

### 2. जल स्रोतों के उपचार योजना का निरूपणः–

- विभिन्न विभाग/कार्यदायी संस्थाएं प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात्, विभिन्न जल स्रोतों यथा–स्प्रिंग एवं सहायक नदियों आदि के उपचार हेतु समग्र कार्य योजना का निर्माण करेंगे, जो कि सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- इन उपचार योजनाओं में जल स्रोतों एवं सहायक नदियों के जल सग्रंहण क्षेत्र को चिन्हित कर इनमें उपचार गतिविधियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा।
- चयनित उपचार योजनाओं की वृहद्त्ता एवं स्तर को दृष्टिगत रखते हुये कार्ययोजनाओं की अवधि एक से पांच वर्ष के लिए प्रस्तावित की जा सकती है।
- उपचार योजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं तथा जनपद SARRA Centre की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- Critical Springs के उपचार हेतु स्प्रिंगशैड मैनेजमैन्ट प्लान (Springshed Management Plan) निरूपित किये जायेगें। स्प्रिंगशैड मैनेजमैन्ट प्लान (Springshed Management Plan) के अंतर्गत इन Critical Springs का रिचार्ज जोन/क्षेत्र Geo–Hydrological अध्ययन उपरांत निर्धारित किया जायेगा। इस कार्य हेतु विशेषज्ञों एवं तकनीकी संस्थानों/संस्थाओं से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

- वर्षा आधारित सहायक नदियों/धाराओं आदि की उपचार योजनाओं का निरूपण भी वैज्ञानिक विधि से किया जायेगा, जिस हेतु प्रस्तावक विभाग सम्बन्धित विषयानुरूप ख्याति प्राप्त संस्थाओं/संगठनों/विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि रेखीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत जल संभरण क्षेत्रों में वृहद जल बैराज/चैक डेम इत्यादि प्रस्तावित किए जाते है, तो ऐसी योजनाओं के निरूपण में उक्त नदियों, धाराओं आदि के जल संभरण क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण गतिविधियों (उपचार योजना का न्यूनतम 10 प्रतिशत) को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

## 3. उपचार योजनाओं का वित्त पोषण

### 3.1 जनपद स्तर पर धनराशि रू0 1 करोड़ तक के प्रस्तावों हेतु प्रक्रिया–

- मात्रांकित बजट धनराशि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्वतन पर रखी जायेगी।
- निरूपित योजनाओं में 50 प्रतिशत SARRA द्वारा प्रदत्त अंश के रूप में लिया जायेगा व शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभागों द्वारा Convergence के माध्यम से वित्त पोषण किया जायेगा।
- योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात्, उपचार हेतु समग्र कार्य योजना का निर्माण सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- चिन्हित किये गये स्प्रिंग एवं नदियों हेतु निर्मित कार्य योजना का निरूपण सम्बन्धित विभागों में प्रचलित नियमों के अनुरूप ही किया जायेगा एवं योजना की तकनीकी स्वीकृति भी विभिन्न विभागों में प्रचलित नियमों के अनुरूप की जायेगी।
- उपचार योजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं तथा SARRA की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- वर्षा आधारित सहायक नदियों/धाराओं की उपचार योजनाओं का निरूपण वैज्ञानिक विधि से किया जायेगा।
- Critical Springs के उपचार हेतु Springshed Management Plan निरूपित किये जायेगें।
- Springshed Management Plan के अंतर्गत Critical Springs का रिचार्ज जोन/क्षेत्र, Geo–Hydrological अध्ययन उपरांत निर्धारित किया जायेगा।
- विभिन्न विभाग जनपद स्तर पर धनराशि रू0 1 करोड़ तक की उपचार योजनाएं District SARRA Centre को उपलब्ध करायेंगे, जो प्राप्त प्रस्तावों/कार्य योजनाओं को संकलित कर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में प्रस्तुत करेंगे।
- समिति नियमानुसार प्रस्तावित कार्यों/उपचार योजनाओं का परिक्षण उपरांत, धनराशि रू0 1 करोड़ तक की कार्य योजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान करेगी।

- जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरान्त विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपचार योजनाओं के वृहद योजना निर्माण (डी.पी.आर.) को वैज्ञानिक विधि से Geo–Hydrological अध्ययन के उपरांत उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप निरूपित किया जायेगा।
- योजना निरूपण के पश्चात् निर्धारित प्रारूपों में स्प्रिंगशैड रिजुविनेशन प्लान (Springshed Rejuvenation Plan) तथा स्ट्रीम रिजुविनेशन प्लान (Stream Rejuvenation Plan) से सम्बन्धित विवरण को अंकित करते हुए, निर्मित डी.पी.आर. के साथ District SARRA Centre के माध्यम से SARRA मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- SARRA मुख्यालय द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा यदि आवश्यक होगा तो प्रस्तावों में संशोधन हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए जायेंगे, SARRA मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव पर सहमति के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

## 3.2–जनपद स्तर पर धनराशि रू0 1 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों हेतु प्रक्रिया–

- जनपद स्तर पर धनराशि रू0 1 करोड़ से अधिक की कार्य योजनाएं भी बिन्दु संख्या 2 एवं 3.1 में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार ही निरूपित की जायेंगी।
- चयनित Critical जल स्रोतों/नदियों/धाराओं के उपचार हेतु कार्ययोजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
- प्रस्तावों की तकनीकी स्वीकृति तथा अन्य स्वीकृतियां सम्बन्धित विभागों में प्रचलित नियमों के अनुसार की जायेगी।
- विभिन्न विभागों द्वारा जनपद स्तर पर निरूपित की गयी, धनराशि रू0 1 करोड़ से अधिक की उपचार योजनाएं District SARRA Centre को उपलब्ध करायी जायेंगी, जो प्राप्त प्रस्तावों/कार्य योजनाओं को संकलित कर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में प्रस्तुत करेंगे।
- जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावों/कार्य योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये अनुमोदन उपरांत State SARRA Centre को उच्च स्तरीय SLEC/ HPC से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित की जायेगी।
- यदि रेखीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत जल संभरण क्षेत्रों में वृहद जल बैराज/चैक डेम इत्यादि प्रस्तावित किए जाते है, तो ऐसी योजनाओं के निरूपण में उक्त नदियों, धाराओं आदि के जल संभरण क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण गतिविधियों (उपचार योजना का न्यूनतम 10 प्रतिशत) को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा। यदि ऐसी कोई योजनाऐं पूर्व से निरूपित की जा चुकी हैं व स्वीकृत भी हो चुकी हैं तथा ऐसी योजनाओं में अब SARRA से Critical Gap Funding की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है।

- उच्च स्तरीय SLEC/ HPC से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त, वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनाओं के कियान्वयन हेतु, प्रथम चरण में कार्ययोजना की 20 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपद स्तर पर District SARRA Centre स्वीकृत उपचार योजना के अनुसार बजट का आवंटन चिह्नित कार्यदायी संस्थाओं को करेगा।

➢ **जनपद स्तर पर धनराशि रू0 1 करोड़ तथा धनराशि रू0 1 करोड से अधिक के प्रस्तावों /कार्य योजनाओं /योजनाओं (DPR) के अन्तर्गत मात्रांकित बजट–**

| S. No. | Project Interventions |
|---|---|
| 1 | **DPR Preparation (1-2% of total project cost)** |
| 2 | **Total cost of Interventions / Activities** |
| 3 | **Monitoring & Evaluation (2% of total project cost)** |

## 4. उपचार योजनाओं का कियान्वयनः–

- नियोजन प्रक्रिया में चिन्हित किये गये स्प्रिंग एवं नदियों हेतु निर्मित कार्य योजना की तकनीकी स्वीकृति विभिन्न विभागों में प्रचलित नियमों के अनुरूप ही की जायेगी।
- यद्यपि वर्षा आधारित नदियों/धाराओं आदि की उपचार योजनाएं वृहद प्रकार की होंगी, एवं उनके उपचार गतिविधियों का कियान्वयन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाना प्रस्तावित होगा। इस हेतु District SARRA Centre की मुख्य भूमिका होगी कि उपचार योजना के अनुसार कार्यों एवं बजट का आवंटन चिन्हित कार्यदायी संस्थाओं को करें।
- वर्षा आधारित नदियों/धाराओं आदि की वृहद उपचार योजनाओं जोकि 1 वर्ष से अधिक की होगीं, के लिए मुख्य कार्यदायी संस्था/प्रस्तावक विभाग वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन District SARRA Centre द्वारा उचित माध्यम से कराया जायेगा। District SARRA Centre इन वार्षिक कार्य योजनाओं को अपनी समेकित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर State SARRA Centre को प्रेषित करेगा।
- स्प्रिंगशैड मैनेजमैन्ट प्लान (Springshed Management Plan) के उपचार में सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था कार्य योजना के कियान्वयन हेतु ग्राम स्तरीय धारा नौला संरक्षण समिति का सहयोग सुनिश्चित करेगें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का सतत् रूप से अनुरक्षण सामुदायिक सहभागिता से सुनिश्चित किया जायेगा।

## 5. उपचार कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण :–

- समस्त उपचार योजनाओं के अंतर्गत कार्यदायी संस्था/प्रस्तावक विभाग द्वारा Base Line के आंकड़ों को सम्मिलित किया जायेगा।
- समय–समय पर प्रवाह का मापन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसे SARRA द्वारा निर्मित Dashboard/Mobile App पर प्रस्तावक विभाग द्वारा अंकित किया जायेगा।
- प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था स्वीकृत उपचार योजना का विवरण, एवं समय–समय पर इसके सापेक्ष प्रगति का अंकन भी Dash Board में किया जायेगा।
- प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा विभिन्न उपचार क्षेत्रों, उपचार गतिविधियों की Geo Tagging की जायेगी, जो Dash Board पर प्रदर्शित होगी, जिसका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उच्चतम स्तर से भी किया जायेगा।
- उपचार योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु 2 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।
- SARRA द्वारा कार्यों के मूल्यांकन हेतु बाह्य मूल्यांकन एजेंसी का उपयोग भी किया जायेगा।
- यद्यपि समस्त उपचार योजनाओं के अंतर्गत कार्यदायी संस्था/प्रस्तावक विभाग द्वारा Base Line के आंकड़ों को सम्मिलित किया जायेगा, तथा समय–समय पर प्रवाह का मापन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसे SARRA द्वारा निर्मित Dashboard पर प्रस्तावक विभाग द्वारा अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित **उपचार योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु 2 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।** SARRA द्वारा कार्यों के मूल्यांकन हेतु बाह्य मूल्यांकन एजेंसी का उपयोग भी किया जायेगा।
- प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था स्वीकृत उपचार योजना का विवरण Dash Board में अंकित करेगें, एवं समय–समय पर इसके सापेक्ष प्रगति का अंकन भी Dash Board में किया जायेगा।
- प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा विभिन्न उपचार क्षेत्रों, उपचार गतिविधियों की Geo Tagging की जायेगी, जो Dash Board पर प्रदर्शित होगी, जिसका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उच्चतम स्तर से भी किया जायेगा।

## District SARRA Centre के कार्य एवं दायित्वः–

- विभिन्न जल स्रोतों एवं वर्षा आधारित सहायक नदियों/धाराओं, जलाशयों आदि की स्थिति का आंकलन, प्राथमिकता निर्धारण कर (मानकों के अनुरूप), और इनके चरणबद्ध रूप से उपचार/पुनरोद्धार किये जाने हेतु विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करेगा।
- चयनित किये गये Critical जल स्रोतों/नदियों/ धाराओं/भूगर्भ जल के उपचार हेतु उपचार योजना का निर्माण सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु District SARRA Centre द्वारा सम्बन्धितों को आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा।
- निर्मित उपचार योजनाओं की तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों/कार्यदायी संस्थाओं में प्रचलित नियमों के अनुरूप सम्बन्धित द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त कर District SARRA Centre को उपलब्ध करायी जायेगी।
- उक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों/कार्य योजनाओं को संकलित कर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें समिति नियमानुसार प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण, केन्द्राभिसरण की व्यवस्था, कार्यदायी संस्थाओं का चयन आदि बिन्दुओं पर चर्चा/विचारोपरांत धनराशि रू0 1 करोड़ तक की कार्य योजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान करेगी। धनराशि रू0 1 करोड़ से अधिक के कार्य योजनाओं/परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रदान करेगी।
- क्षमता विकास एवं प्रचार प्रसारः– जल स्रोतों एवं नदियों के पुनरोद्धार हेतु प्रदेश के समस्त हितभागियों को इस विषय पर जागरूक किया जायेगा। राज्य, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें वैज्ञानिक रूप से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने तथा सहभागी अनुरक्षण की अवधारणा को व्यापक रूप से अपनाये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

# संलग्नक–1

SARRA द्वारा राज्यान्तर्गत विभिन्न जल आंकलित जल स्रोतों कार्ययोजना निरूपण अन्तर्गत विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा Critical सूख रहे जल स्रोतों एवं सहायक नदियों/धाराओं का चिन्हीकरण एवं जल संग्रहण क्षेत्रों की पहचान निम्न मानकों के आधार पर किया जा सकता है:–

**1.1 Critical सूख रहे जल स्रोतों/Spring Rejuvenation क्षेत्रों के चयन हेतु मानक–**

I. पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु जल उपलब्धता का प्रमुख आधार प्राकृतिक जल स्रोत है। विभिन्न कारणों से कई जल स्रोतों में जल के प्रवाह में कमी परिलक्षित हुई है। जिसके फलस्वरूप कई जल स्रोत, जिनमें पूर्व में वर्ष भर जल उपलब्धता बनी रहती थी, ऐसे जल स्रोतों में अब जल प्रवाह मौसमी (Seasonal) रूप में (बारह माह से कम होकर, आठ माह, छः माह, चार माह अथवा दो माह की अवधि तक ही) सीमित रहा गया है। अतः जनपद स्तर पर इस प्रकार के जल स्रोतों को उपचार किए जाने हेतु चिन्हित कर, प्राथमिकता निर्धारण करते हुए उपचार योजनाएं चरणबद्ध रूप से तैयार किया जाना आवश्यक है।

II. जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विभिन्न जल स्रोतों में जल स्राव/प्रवाह को बनाये रखने, पुनर्जीवित किये जाने हेतु विभिन्न उपचार गतिविधियां कियान्वित की जाती हैं।

III. चिन्हित जल स्रोतों के उपचार हेतु अधिकाधिक विभागीय बजट/Convergence से किया जायेगा।

IV. प्राथमिकता निर्धारण किए जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्न बिन्दुओं/मानकों का उपयोग कर विभिन्न जल स्रोत उपचार योजनाओं को चरणबद्ध रूप से वरीयता कम में अंकित किया जा सकता है, ताकि निर्धारित वरीयता कम के अनुरूप जनपद स्तर पर उपचार योजनाओं का कियान्वयन किया जा सके–

- ऐसे बारहमासी जल स्रोत जो पूर्णतः सूख गये हों।
- बारहमासी से मौसमी जल स्रोत में परिवर्तित हुये जल स्रोत में जल की माहवार उपलब्धता में कमी परिलक्षित हो।
- जल स्रोत जिस पर ग्रामीण पेयजल हेतु निर्भर हो–
  - जल स्रोत जिसका प्रयोग केवल पेयजल योजनाओं हेतु हो, के जल स्राव/प्रवाह में विगत 5 वर्षो में कमी परिलक्षित हो।
  - जल स्रोतों, जिनका ग्रामीणों द्वारा पेयजल एवं अन्य आवश्यकता हेतु स्वयं उपयोग किया जा रहा है, ऐसे जल स्रोतों पर ग्रामीणों की निर्भरता के प्रतिशत के आधार पर।
  - ऐसे जल स्रोत जिनका प्रयोग केवल कृषि फसलों की सिंचाई हेतु किया जा रहा हो तथा विगत वर्षों में इनके जल स्राव/प्रवाह में कमी दृष्टिगत हो रही हो।

Critical सूख रहे जल स्रोतों के उपचार हेतु वरियता कम को सुनिश्चित करने हेतु सारणी तालिका–1 में दी गई है।

## तालिका–1

| जनपद स्तर पर विभिन्न जल स्रोतों के उपचार हेतु चिन्हीकृत कर प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु प्रमुख बिन्दु | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमांक | विवरण | | अंक | | अंक | | अंक | | अधिकतम अंक | प्राप्तांक |
| 1 | **बारहमासी जल स्रोत जो पूर्णतः सूख गया हो** | | | | | | | | 200 | 200 |
| 2 | बारहमासी से मौसमी जल स्रोत में परिवर्तित हुये जल स्रोत में जल की माहवार उपलब्धतता | 10 माह | 20 | 8 माह | 40 | 6 माह | 60 | 3 माह | 80 | |
| 3 | **जल स्रोत जिस पर ग्रामीण पेयजल हेतु निर्भर हो–** | | | | | | | | | |
| 3.1 | जल स्रोत जिसका उपयोग केवल पेयजल योजनाओं हेतु हो, के जल स्राव/प्रवाह में विगत 5 वर्षो में कमी का प्रतिशत। | 25% तक | 10 | 25% से 50% | 20 | 50% से 75% तक | 30 | 75% से अधिक | 40 | |
| 3.2 | जल स्रोतों, जिनका ग्रामीणों द्वारा पेयजल एवं अन्य आवश्यकता हेतु स्वयं उपयोग किया जा रहा है, ऐसे जल स्रोतों पर ग्रामीणों की निर्भरता का प्रतिशत। | 25% तक | 10 | 25% से 50% | 20 | 50% से 75% तक | 30 | 75% से अधिक | 40 | |
| 4 | ऐसे जल स्रोत जिनका प्रयोग केवल कृषि फसलों की सिंचाई हेतु किया जा रहा हो तथा विगत वर्षो में इनके जल स्राव/प्रवाह में कमी दृष्टिगत हो रही हो। | 25% तक | 10 | 25% से 50% | 20 | 50% से 75% तक | 30 | 75% से अधिक | 40 | |
| | **योग** | | | | | | | | 200 | |

## 2- सहायक नदियों/धाराओं/ River Rejuvenation के वरीयता निर्धारण हेतु मानक–

जनपद स्तर पर स्थित वर्षा आधारित नदियों में विभिन्न कारणों से जल प्रवाह या स्राव–समयावधि में कमी परिलक्षित हो सकती है। अतः जनपद स्तर पर, ऐसी नदियों के उपचार हेतु चयनित किये जाने के विभिन्न मापदण्ड अपनाये जा सकते है। जिनमें से कुछ परिस्थितियाँ निम्नवत हो सकती है:–

- ऐसी नदियां जिनमें प्राकृतिक रूप से जल स्राव/प्रवाह में विगत वर्षो में कमी परिलक्षित हुई ।
- ऐसी नदियां जिनसे विभिन्न पेयजल योजनाओं या सिंचाई योजना हेतु जल का उपयोग किया जा रहा हो और विगत 10 वर्षों में नदी के जल प्रवाह में कमी होने के कारण उक्त योजनाएं की क्षमता में विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो।
- नदियों की सहायक नदियों/नाले/धारों में जल उपलब्धता में कमी अथवा सूख जाना।
- ऐसी मुख्य नदियां व सहायक नदियां जिनके अन्तर्गत जन समुदाय की विभिन्न लाभकारी गतिविधियों हेतु विभिन्न क्षेत्रों में जल संचय की आवश्यकता हो परन्तु जल संचय न किया जा पा रहा हो।

सहायक नदियों/धाराओं/River Rejuvenation के वरीयता निर्धारण हेतु वरीयता क्रम को सुनिश्चित करने हेतु तालिका–2 में दी गई है।

# तालिका–2

| जनपद स्तर पर विभिन्न वर्षा आधारित नदियों के उपचार हेतु प्राथमिकता निर्धारण हेतु प्रमुख बिन्दु | |
|---|---|
| **क0 सं0** | **विवरण** |
| **1** | ऐसी नदियां जिनमें प्राकृतिक रूप से जल स्राव/प्रवाह में विगत वर्षो में कमी परिलक्षित हुई हो। |
| **2** | ऐसी नदियां जिनसे विभिन्न पेयजल योजना या सिंचाई योजना हेतु जल का उपयोग किया जा रहा हो और विगत 10 वर्षों में नदी के जल प्रवाह में कमी होने के कारण उक्त योजनाएं की क्षमता में विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो। |
| **3** | नदियों की सहायक नदियों/नाले/धारों में जल उपलब्धता में कमी अथवा सूख जाना। |
| **4** | ऐसी मुख्य नदियां व सहायक नदियां जिनके अन्तर्गत जन समुदाय की विभिन्न लाभकारी गतिविधियों हेतु विभिन्न क्षेत्रों में जल संचय की आवश्यकता हो परन्तु जल संचय न किया जा पा रहा हो। |

**नोटः–उपरोक्त दिशा–निर्देश, चयन मापदण्ड एवं Scoring Criteria का उपयोग प्राथमिकता निर्धारण किए जाने हेतु किया जा सकता है।**

*उपरोक्त सम्भावित विभिन्न कारणों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर चिन्हित किए गये जल स्रोतों एवं चयनित नदियों/धाराओं को प्राथमिकतावार आगामी जल संरक्षण अभियान 2024 में उपचारित किए जाने हेतु वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी, प्रस्तावित कार्यो को विभागीय बजट एवं Convergence के माध्यम से भी किया जायेगा।*

## 3. मैदानी क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण से भू–जल रिचार्जः–

- मैदानी क्षेत्रों में भू–जल रिचार्ज क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, देहरादून की विभिन्न जनपदों की भू–जल रिपोर्ट का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर भू–जल रिचार्ज क्षेत्रों को उपचार हेतु चिन्हित किया जा सकता है।
- केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न भू–जल रिचार्ज गतिविधियों की उपयुक्ता एवं तकनीकों के सम्बन्ध में भी विस्तृत गाईडलाईन का उपयोग विभिन्न प्रस्तावक विभागों द्वारा भू–जल रिचार्ज हेतु किया जा सकता है। मैदानी क्षेत्रों में भू–जल रिचार्ज करने हेतु रिचार्ज शॉफ्ट, रिचार्ज जलाशय, रिचार्ज पिट, नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि गतिविधियां की जा सकती हैं।

### रिचार्ज शॉफ्ट

एक कृत्रिम संरचना है, जिसका निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है, जहॉ भूजल स्तर में कमी आ रही है। रिचार्ज शॉफ्ट के द्वारा सतही वर्षा जल अपवाह को भूमिगत जल भण्डार में वृद्धि हेतु पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ताकि भूजल स्तर में वृद्धि हो सके।

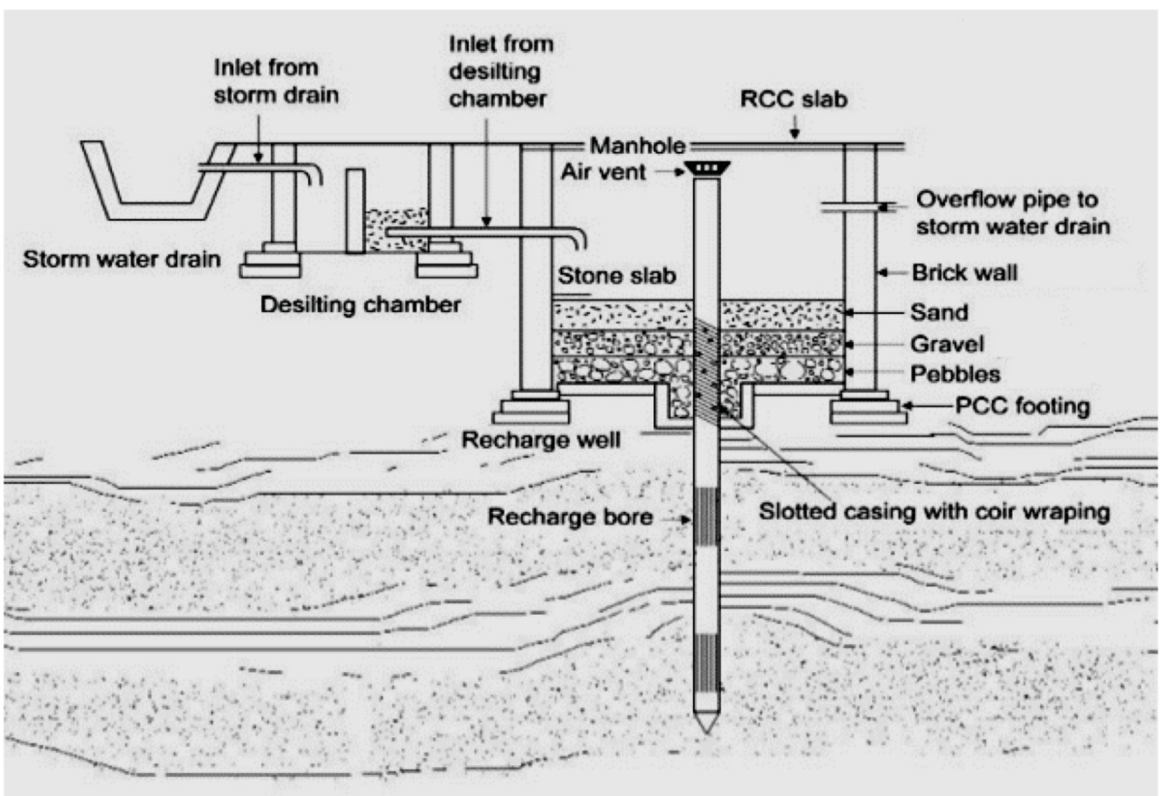

केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा समय–समय पर राज्य के विभिन्न मैदानी क्षेत्रों में भू–जल की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती है। अतः इस गतिविधि की प्राथमिकता निर्धारित किये जाने हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक है। रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण गतिविधि, जलभृत (Aquifer) को सीधे रिचार्ज करने के लिए सबसे कुशल एवं प्रभावी संरचना है। परन्तु रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण से जलभृत (Aquifer) में कोई विपरीत प्रभाव न पड़े इस हेतु विभिन्न विभाग जो रिचार्ज शॉफ्ट गतिविधि को क्रियान्वित कर रहें हों, वे आवश्यक रूप से केन्द्रीय भू–जल बोर्ड देहरादून से इस हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त गतिविधि का सम्पादन करेंगे।

# जल संरक्षण अभियान 2025
## ग्राम स्तर पर चिन्हित जल स्रोतों की उपचार योजना एवं प्रगति

**साप्ताहिक प्रगति प्रारूप–01**

**दिनांक**

| क0सं0 | जनपद | ग्राम स्तर पर उपचार हेतु चिन्हित जल स्रोतों की सं0 | उपचार गतिविधियां | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कन्टूर ट्रेचेंज (सं0) | | रिचार्ज पिट /शॉफ्ट (सं0) | | डग आउट पौण्ड (सं0) | | चाल खाल/ तालाब (सं0) | | चैक डेम (सं0) | | वृक्षारोपण (है0) | | रिचार्ज शॉफ्ट (सं0) | | मैदानी क्षेत्रों में बड़े तालाब (सं0) | | मैदानी क्षेत्रों में बड़े तालाब का पुनरोद्धार (सं0) | |
| | | | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति |
| 1 | टिहरी गढ़वाल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | उत्तरकाशी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | चमोली | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | रूद्रप्रयाग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | पौडी गढवाल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | देहरादून | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | हरिद्वार | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | अल्मोड़ा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | पिथौरागढ़ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | बागेश्वर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | चंपावत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | नैनीताल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | उद्यम सिंह नगर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# जल संरक्षण अभियान 2025
## विकासखण्ड स्तर पर चिन्हित जल स्रोतों की उपचार योजना एवं प्रगति

साप्ताहिक प्रगति प्रारूप–02

दिनांक

| क0सं0 | जनपद | विकासखण्डों की संख्या | विकासखण्ड उपचार हेतु चिन्हित जल स्रोतों की सं0 | उपचार गतिविधियां | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कन्टूर ट्रेंचेज (सं0) | | रिचार्ज पिट /शॉफ्ट (सं0) | | डग आउट पौण्ड (सं0) | | चाल खाल/ तालाब (सं0) | | चैक डेम (सं0) | | वृक्षारोपण (है0) | | रिचार्ज शॉफ्ट (सं0) | | मैदानी क्षेत्रों में बड़े तालाब (सं0) | | मैदानी क्षेत्रों में बड़े तालाब का पुनरोद्धार (सं0) | |
| | | | | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति |
| 1 | टिहरी गढ़वाल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | उत्तरकाशी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | चमोली | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | रूद्रप्रयाग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | पौडी गढवाल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | देहरादून | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | हरिद्वार | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | अल्मोड़ा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | पिथौरागढ़ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | बागेश्वर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | चंपावत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | नैनीताल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | उद्यम सिंह नगर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# जल संरक्षण अभियान 2025
## जनपद स्तर पर सहायक नदियों/धाराओं की उपचार योजना एवं प्रगति

दिनांक

| क्र0सं0 | जनपद | जनपद स्तर पर उपचार हेतु चिन्हित सहायक नदियो/धाराओं की संख्या | उपचार गतिविधियां | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीमेंटेड चैक डेम/(सं0) | | चैक डेम (सं0) | | कन्टूर ट्रेंचेज (सं0) | | रिचार्ज पिट (सं0) | | डगआॅउट पौण्ड/तालाब/ शॉफ्ट (सं0) | | वृक्षारोपण (है0/सं0) | | अन्य |
| | | | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | |
| 1 | टिहरी गढ़वाल | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | उत्तरकाशी | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | चमोली | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | रूद्रप्रयाग | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | पौडी गढवाल | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | देहरादून | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | हरिद्वार | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | अल्मोड़ा | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | पिथौरागढ़ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | बागेश्वर | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | चंपावत | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | नैनीताल | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | उद्यम सिंह नगर | | | | | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | | | | | | |

# जल संरक्षण अभियान 2025–26 के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर उपचार हेतु चिन्हित जल स्रोतों की गतिविधियों के लक्ष्य प्रारूप –1

| उपचार हेतु चयनित जल स्रोत सम्बन्धित सूचना | | | | | | | | | उपचार गतिविधियां | | | | | | | | | | | | | | | | वित्त पोषण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जनपद | विकास खण्ड | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | जल स्रोत का नाम | जल स्रोत का प्रकार (नोला/धारा/गधेरा) | GPS कोर्डिनेट्स | जल प्रवाह लीटर प्रति मिनट | उपयोग– पेयजल/सिंचाई/दोनो प्रयोग हेतु | समोच्च खन्तियां/कन्टूर ट्रेंचेज (संख्या) | रिचार्ज पिट (संख्या) | डग आँउट पौण्ड/कच्चे तालाब (संख्या) | ब्रशवुड चैक डैम (संख्या) | अस्थाई चैक डैम (पिरूल आदि चैक डैम) (संख्या) | Loose Boulder Check Dam (Nos.) | R:R Dry Check Dam (Nos.) | Gabion/Crate Wire Check Dam (Nos.) | Cemented Check Dam (Nos.) | वानस्पतिक उपचार गतिविधि/चारा/घास रोपण (हैक्टे0) | वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधि (हैक्टे0) | प्राकृतिक पुनरोत्पादन गतिविधि (ANR) (हैक्टे0) | मैदानी क्षेत्रों में बड़े तालाब (संख्या) | मैदानी क्षेत्रों में रिचार्ज शॉफ्ट (संख्या) | मैदानी क्षेत्रों में बड़े तालाब का पुनरोद्धार (सं0) | उपरोक्त गतिविधियों से कुल उपचारित जल संग्रहण क्षेत्र (हैक्टे0) | विभागीय योजना का नाम | विभागीय योजना अंश (धनराशि रू0) | SARRA अंश (धनराशि रू0) | योजना की कुल लागत (धनराशि रू0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**नोट:** क्रमांक संख्या 28 वित्त पोषण के अन्तर्गत सारा अंश में धनराशि विवरण केवल उस स्थिति में अंकित किया जायेगा, जब विभाग/जनपद द्वारा सम्बन्धित जल स्रोतों के वैज्ञानिक विधि से उपचार हेतु स्प्रिंग शेड उपचार योजना (DPR), SARRA द्वारा प्रदत्त SoP के अनुरूप निरूपित की गयी हो अन्यत्र स्थिति में ग्राम स्तर पर चिन्हित जल स्रोतों का उपचार विगत वर्ष की भांति विभागीय संसाधनों से किया जायेगा।

# जल संरक्षण अभियान 2025–26 के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर उपचार हेतु चिन्हित Critical जल स्रोतों की गतिविधियों के लक्ष्य प्रारूप–2

| उपचार हेतु चयनित जल स्रोत सम्बन्धित सूचना | | | | | | | | | | उपचार गतिविधियां | | | | | | | | | | | | | | | | वित्त पोषण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जनपद | विकास खण्ड | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | जल स्रोत का नाम | जल स्रोत का प्रकार (नोला/धारा/गधेरा) | GPS कोर्डिनेट्स | जल प्रवाह लीटर प्रति मिनट | उपयोग–पेयजल/सिंचाई/दोनो प्रयोग हेतु | क्या Critical जल स्रोत के रूप में चिन्हित है – (हाँ/नहीं) | समोच्च खन्तियां/कन्टूर ट्रेंचेज (संख्या) | रिचार्ज पिट (संख्या) | डग ऑउट पौण्ड/कच्चे तालाब (संख्या) | ब्रशवुड चैक डैम (संख्या) | अस्थाई चैक डैम (पिरूल आदि चैक डैम) (संख्या) | Loose Boulder Check Dam (Nos.) | R:R Dry Check Dam (Nos.) | Gabion/ Crate Wire Check Dam (Nos.) | Cemented Check Dam (Nos.) | वानस्पतिक उपचार गतिविधि /चारा/घास रोपण (हैक्टे0) | वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधि (हैक्टे0) | प्राकृतिक पुनरोत्पादन गतिविधि (ANR) (हैक्टे0) | मैदानी क्षेत्रों में बड़े तालाब (संख्या) | मैदानी क्षेत्रों में रिचार्ज शॉफ्ट (संख्या) | मैदानी क्षेत्रों में बड़े तालाब का पुनरोद्धार (सं0) | उपरोक्त गतिविधियों से कुल उपचारित जल संग्रहण क्षेत्र (हैक्टे0) | विभागीय योजना का नाम | विभागीय योजना अंश (धनराशि रू0) | SARRA अंश (धनराशि रू0) | योजना की कुल लागत (धनराशि रू0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**नोटः** क्रमांक संख्या 29 वित्त पोषण के अन्तर्गत सारा अंश में धनराशि विवरण केवल उस स्थिति में अंकित किया जायेगा, जब विभाग/जनपद द्वारा सम्बन्धित Critical जल स्रोत के वैज्ञानिक विधि से उपचार हेतु स्प्रिंग शेड उपचार योजना (DPR), SARRA द्वारा प्रदत्त SoP के अनुरूप निरूपित की गयी हो अन्यत्र स्थिति में ग्राम स्तर पर चिन्हित ब्पजपबंस जल स्रोतों का उपचार विगत वर्ष की भांति विभागीय संसाधनों से किया जायेगा।

# जल संरक्षण अभियान 2025–26 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर चिन्हित वर्षा आधारित नदी/सहायक नदी/धारा की उपचार गतिविधियों के लक्ष्य प्रारूप–3

| उपचार हेतु चयनित जल स्रोत सम्बन्धित सूचना | | | | | | | | | | | | उपचार गतिविधियां | | | | | | | | | | | | | वित्त पोषण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जनपद | विकास खण्ड | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | चिन्हित वर्षा आधारित नदी/सहायक नदी/धारा का नाम | वर्षा आधारित नदी/सहायक नदी/धारा का क्रम | वर्षा आधारित नदी/सहायक नदी/धारा की लम्बाई (कि0मी0 में) | GPS कोर्डिनेट्स (प्रारम्भ में) | GPS कोर्डिनेट्स (अन्त में) | जल प्रवाह लीटर प्रति मिनट | उपयोग– पेयजल/सिंचाई/दोनो प्रयोग हेतु | क्या Critical के रूप में चिन्हित है – (हाँ/नहीं) | समोच्च खन्तियां/कन्टूर ट्रेंचेज (संख्या) | रिचार्ज पिट (संख्या) | डग ऑउट पौण्ड/कच्चे तालाब (संख्या) | ब्रशवुड चैक डैम (संख्या) | अस्थाई चैक डैम (पिरूल आदि चैक डैम) (संख्या) | Loose Boulder Check Dam (Nos.) | R:R Dry Check Dam (Nos.) | Gabion/Crate Wire Check Dam (Nos.) | Cemented Check Dam (Nos.) | वानस्पतिक उपचार गतिविधि/चारा/घास रोपण (हैक्टे0) | वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधि (हैक्टे0) | प्राकृतिक पुनरोत्पादन गतिविधि (ANR) (हैक्टे0) | उपरोक्त गतिविधियों से कुल उपचारित जल संग्रहण क्षेत्र (हैक्टे0) | विभागीय योजना का नाम | विभागीय योजना अंश (धनराशि रू0) | SARRA अंश (धनराशि रू0) | योजना की कुल लागत (धनराशि रू0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**नोटः** क्रमांक संख्या 29 वित्त पोषण के अन्तर्गत सारा अंश में धनराशि विवरण केवल उस स्थिति में अंकित किया जायेगा, जब विभाग/जनपद द्वारा जनपद स्तर पर चिन्हित वर्षा आधारित नदी/सहायक नदी/धारा के वैज्ञानिक विधि से उपचार हेतु नदी उपचार योजना (DPR), SARRA द्वारा प्रदत्त SoP के अनुरूप निरूपित की गयी हो अन्यत्र स्थिति में चिन्हित वर्षा आधारित नदी/सहायक नदी/धारा का उपचार विगत वर्ष की भांति विभागीय संसाधनों से किया जायेगा।

कार्यालय– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन आथॉरिटी (SARRA),
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी, देहरादून।
फोन नं0 0135– 2760170Email-sarrauttarakhand@gmail.com , wmd-ua@nic.in

पत्रांक– 292 /46– / देहरादून दिनांक : 28 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

1. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, SARRA/ उप निदेशक,जलागम प्रबन्धन जनपद– टिहरी प्रभाग, टिहरी।
2. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, SARRA/उप निदेशक,जलागम प्रबन्धन जनपद–नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी।
3. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, SARRA/उप निदेशक,जलागम प्रबन्धन जनपद– पौडी प्रभाग, पौडी।
4. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, SARRA/ मुख्य कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, हरिद्वार जनपद–हरिद्वार।
5. नोडल अधिकारी, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, SARRA/ मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत, जनपद–चम्पावत।
6. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, SARRA/ अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून, जनपद–देहरादून।
7. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, SARRA/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रपुर,जनपद– उधमसिंह नगर।

**विषयः–Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) अन्तर्गत ग्राउण्ड वॉटर रिजुविनेशन Proposal Format विषयक।**

महोदय,

आप भिज्ञ है कि Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) अन्तर्गत जनपद एवं अन्य स्तर पर SARRA के लिये गतिविधियों का कियान्वयन गतिमान हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में Spring and Streams हेतु Rejuvenation Plan Proposal Format प्रेषित किये गये थे। मैदानी क्षेत्रों में जलभृतो (Aquifers) के भू–जल रिचार्ज गतिविधियों हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से प्राप्त सुझावों के उपरान्त Ground Water Rejuvenation Plan Proposal Format संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न प्रारूप में जनपद स्तर पर सम्पादित की जाने वाली भू–जल रिचार्ज गतिविधियों के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) के साथ सूचना प्रेषित की जायेगी। अतः उक्तानुसार SARRA अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित की जा रही योजनाओं के डी0पी0आर0 के साथ संलग्न प्रारूप पर आवश्यक रूप से सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (SARRA)
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

## FORMAT FOR GROUND WATER REJUVENATION PLAN PROPOSAL

# Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA), Uttarakhand

**1- Department/Organization Detail :-**

Name of Department/Organization..................................................................................................................

District..............................................Block.........................................................................................................

Address of Department/Organization.............................................................................................................

Key Nodal Officer for Ground water Rejuvenation Activities....................................................................

Contact No. ......................................................................................................................................................

Email Id. ...........................................................................................................................................................

**2- Aquifer Identification Particulars for Ground water Recharge-**

Name of Sub-Watershed ..................................................................................................................................

Name of Micro-Watershed (MWS)......................................Code *(if known)*.......................................................

District................................................ Block/Town.............................................................................................

Village .................................................................................................................................................................

**<u>Table 2.1</u>**

**Detail of identified Aquifer Recharge Site (ARS) :**

| S. N. | Detail of Aquifer Recharge Site (ARS) | Name | Geographic Centre Point Coordinates/Location | | | Approx. Size of Recharge Area in Ha. *(around location mentioned)* | Land Ownership and Type *(Government, Private, Community, Mixed)* | Designation of land type *(e.g. Revenue, Agricultural, Grazing, Forest, Urban, Barren, or any other -specify)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Latitude* | Longitude* | Altitude *(masl.)* | | | |
| 1 | ARS - 1 | | | | | | | |
| 2 | ARS - 2 | | | | | | | |
| 3 | ARS - 3 | | | | | | | |
| 4 | ARS - 4 | | | | | | | |
| | --- | | | | | | | |

* **Degree$^{0}$ Minute', Second" (DMS)**

**Table 2.2**

**Hydrological Details of identified Aquifer Recharge Site (ARS):-**

| S. N. | Detail of Aquifer Recharge Site (ARS) | Name | Depth to Water Table (m) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pre-Monsoon | Post-monsoon | 10 Years Ago |
| 1 | ARS - 1 | | | | |
| 2 | ARS - 2 | | | | |
| 3 | ARS - 3 | | | | |
| 4 | ARS - 4 | | | | |
| | --- | | | | |

- Source of water for recharge *(e.g., canal, river, rainwater runoff, any other - specify)*..........................................
- Average availability period *(No. of months/season)* ........................................................................................
- Groundwater availability status *(Safe, Semi-Critical, Critical, Over-exploited)*..................................................
- Primary groundwater uses *(e.g., Domestic, Irrigation, Industrial)*.......................................................................

**1- Capture photographs for additional details**

(a) Wide angle photograph of proposed groundwater recharge site (with GPS enabled camera app)

(b) Wide angle photographs of proposed interventions sites for recharge (with GPS enabled camera app).

**2- Risk and Vulnerability Assessment**

- Potential risks to recharge area (e.g., Pollution, Urban encroachment, Land degradation, Drains etc.)…........
  ……………………………………………………………………………………………..............................
- Level of vulnerability (Low, Medium, High) due to environmental or anthropogenic factors...........................

**5. Summary of Proposed Groundwater Recharge Plan prepared by Departments/ Organizations**

Name of Department/Organization -----------------------------

Name of District -----------------------------

Name of Block ------------------------------

Name of Gram Panchayat/Town ------------------------------

Name of Nodal officer/person for proposed plan ------------------------------

Designation (Responsible for planning, implementation, monitoring and uploading information in SARRA Dashboard, SARRA Mobile App etc.). ------------------------------

Contact No. ------------------------------

Email Id ------------------------------

**Table No. 5.1**

Please fill the required information as per DPR-

(Rs. in Lakh)

| S.N. | Budget Head & Allocation | Budget Proposed |
|---|---|---|
| 1 | DPR Preparation (1-2% of total project cost) | |
| 2 | Total cost of Interventions / Activities | |
| 3 | Monitoring & Evaluation (2% of total project cost) | |
| | **Total** | |

**Table No. 5.2**

Please fill the information (Year-wise) as mentioned in DPR-

(Rs. in Lakh)

| S.N. | Name of Activity | Unit | Physical Target in identified recharge site / zone * | | | | Total of physical targets | Financial Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARS 1 | ARS 2 | ARS 3 | and so on.... | | |
| **1** | **DPR Preparation** | | | | | | | |
| **2** | **Interventions/ Activities** | | | | | | | |
| 2.1 | Recharge Shaft | No. | | | | | | |
| 2.2 | Recharge Pit | No. | | | | | | |
| 2.3 | Dugout Ponds | No. | | | | | | |
| 2.4 | Estimated Area of Catchment Treated by above Activities | Ha. | | | | | | |
| **3** | **Monitoring & Evaluation **** | | | | | | | |
| | **Total** | | | | | | | |

*Number of site / sites be added by inserting additional columns for physical and financial targets of selected recharge works.

**PIA will engage an independent M & E Agency for the purpose of monitoring the discharge and impact of Aquifer Recharge activities.

**Table No. 8.3**

Detail of provision for water recharge and soil moisture conservation activities in proposed Aquifer Recharge plan-

(Rs. in Lakh)

| Total project cost | Budget provision for water recharge and soil moisture conservation activities | Percentage (not less than 10%) |
|---|---|---|
| | | |

**Table No. 7.4**

Financial Convergence detail of proposed Aquifer recharge activities-

(Rs. in Lakh)

| Total Financial Amount | Fund from PIA/ Department | Fund from other sources | Fund from SARRA convergence | Total |
|---|---|---|---|---|
| | (A) | (B) | (C) | (A+B+C) |
| | | | | |
| | | | | |

**List of Annexure-**

1- Detail Project Report (DPR) of stream rejuvenation activities.

2- Any other relevant documents.

**Date of Proposal Submission:-..........................**

**Submitted By:-..........................** **Signature with stamp:- ......................................**

**Note:** The above format could be further modified with technical and scientific inputs from different departments/ organizations.

कार्यालय– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन आथॉरिटी (SARRA),
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी, देहरादून।
फोन नं0 0135– 2760170Email-sarrauttarakhand@gmail.com , wmd-ua@nic.in

पत्रांक– 90 /46–10/बजट देहरादून दिनांक : 21 अगस्त, 2024

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
अध्यक्ष, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति SARRA,
उत्तराखण्ड।

**विषयः–Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) अन्तर्गत बजट आवंटन/वित्तीय सीमा निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जलागम निदेशालय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के क्रियान्वयन एवं संचालन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त बजट के सापेक्ष निम्नवत प्रकार से बजट मात्रांकन किया गया है–

**1–** जनपदों द्वारा **धनराशि रू0 1.00 करोड़ तक की** वर्षा आधारित नदियों/धाराओं आदि हेतु निरूपित उपचार योजनाओं के लिए **Budget Head 55 पूंजीगत परिसम्पत्तियों हेतु अनुदान** के अन्तर्गत जनपदवार आवंटित धनराशि/निर्धारित वित्तीय सीमा का मात्रांकन निम्नवत हैः–

**तालिका–1**

| Budget for Spring and River Treatment Plans | | | |
|---|---|---|---|
| Under Budget Head 55 पूंजीगत परिसम्पत्तियों हेतु अनुदान | | | |
| **S.N.** | **District** | **Development Block (No.)** | **Budget for Convergence from SARRA (Rs. In Lakh)** |
| 1 | Dehradun | 6 | 200 |
| 2 | Tehri | 9 | 300 |
| 3 | Pauri | 15 | 400 |
| 4 | Chamoli | 9 | 200 |
| 5 | Uttarkashi | 6 | 200 |
| 6 | Rudraprayag | 3 | 100 |
| 7 | Nainital | 8 | 250 |
| 8 | Almora | 11 | 350 |
| 9 | Bageshwar | 3 | 100 |
| 10 | Champawat | 4 | 150 |
| 11 | Pithoragarh | 8 | 250 |
| 12 | Haridwar | 6 | 120 |
| 13 | Udham Singh Nagar | 7 | 120 |
| **Total** | | **95** | **2740** |

1.1 उक्त मद के अन्तर्गत मात्रांकित बजट धनराशि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्वतन पर रखी जायेगी, जिसको जल स्रोतों एवं वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों हेतु निरूपित योजनाओं में 50 प्रतिशत SARRA द्वारा प्रदत्त अंश के रूप में लिया जायेगा व शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभागों द्वारा Convergence के माध्यम से वित्त पोषण किया जायेगा।

**2–** जनपदों द्वारा **धनराशि रू0 1.00 करोड़ से अधिक की** जल स्रोतों तथा वर्षा आधारित नदियों/ सहायक नदियों आदि की वृहद कार्ययोजनाओं/प्रस्तावों, जो कि दीर्घावधिक अवधि (तीन से पाँच वर्ष हेतु) उपचार हेतु निरूपित की जायेंगी। **ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु Budget Head 55 पूंजीगत परिसम्पत्तियों हेतु अनुदान** के अन्तर्गत जनपदवार निम्न मात्रांकित धनराशि अनुसार दीर्घावधिक कार्ययोजना प्रस्ताव तैयार किए जायेंगे–

तालिका–2

| Budget for Spring and River Treatment Plans | | | |
|---|---|---|---|
| Under Budget Head 55 पूंजीगत परिसम्पत्तियों हेतु अनुदान | | | |
| **S.N.** | **District** | **Development Block (No.)** | **Budget for Convergence form SARRA (Rs. In Lakh)** |
| 1 | Dehradun | 6 | 750 |
| 2 | Tehri | 9 | 1000 |
| 3 | Pauri | 15 | 1250 |
| 4 | Chamoli | 9 | 1000 |
| 5 | Uttarkashi | 6 | 750 |
| 6 | Rudraprayag | 3 | 750 |
| 7 | Nanital | 8 | 1000 |
| 8 | Almora | 11 | 1250 |
| 9 | Bageshwar | 3 | 500 |
| 10 | Champawat | 4 | 750 |
| 11 | Pithoragarh | 8 | 500 |
| 12 | Haridwar | 6 | 250 |
| 13 | Udham Singh Nagar | 7 | 300 |
| Total | | 95 | 10050 |

**2.1** उपरोक्त मात्रांकित बजट द्वारा जनपद धनराशि रू0 1.00 करोड़ से अधिक की कार्ययोजनाऐं प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अनुमोदन उपरान्त State SARRA Centre की उच्च स्तरीय SLEC/ HPC से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित की जायेगी।

**2.2** मात्रांकित बजट धनराशि से जल स्रोतों एवं वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों हेतु निरूपित वृहद/दीर्घावधिक योजनाओं में 50 प्रतिशत SARRA द्वारा प्रदत्त अंश के रूप में लिया जायेगा व शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभागों द्वारा Convergence के माध्यम से वित्त पोषण किया जायेगा। जिस हेतु इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में दीर्घावधिक कार्ययोजनाओं के कियान्वयन हेतु प्रथम चरण में कार्ययोजना की 20 प्रतिशत धनराशि प्रस्ताव स्वीकृति उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी।

**2.3** विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की तकनीकी स्वीकृति तथा अन्य स्वीकृतियां सम्बन्धित विभागों में प्रचलित नियमों के अनुसार की जायेगी।

**2.4** वर्षा आधारित नदियों/सहायक नदियों आदि की वृहद उपचार योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर District SARRA Centre उपचार योजना के अनुसार कार्यों एवं बजट का आवंटन चिह्नित कार्यदायी संस्थाओं को करेगा।

**3.** उपरोक्त तालिका–1 व 2 में मात्रांकित किया गया बजट SARRA हेतु मानक मद–55–(पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु) के अन्तर्गत है तथा उपरोक्त धनराशि का व्यय संलग्न दिशानिर्देश (SoP) तथा निम्नलिखित वित्तीय सीमा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन करना सुनिश्चित करें –

3.1 सम्बन्धित जनपद एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुरूप धनराशि को एस0एन0ए0 मॉड्यूल के अन्तर्गत ही व्यय किया जाना है तथा सम्बन्धित PIAs द्वारा तद्नुसार Child Account खोले जायेंगे।

**3.2** आवंटित निर्धारित धनराशि वित्तीय सीमा का व्यय नियमानुसार तथा SARRA द्वारा जारी वित्तीय गाइडलाईन्स के अनुसार किया जाए।

**3.3** उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग उत्तराखण्ड शासन के स्तर से समय–समय पर जारी शासनादेशों के अधीन किया जाए।

**3.4** आवंटित धनराशि उन्हीं मदों/कार्यों/प्रयोजन पर ही व्यय की जायेगी, जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है।

3.5 सम्बन्धित मद में अवमुक्त बजट का उपयोग जनपदों द्वारा चिहिन्त कार्यो/योजनाओं में Convergence के अन्तर्गत 50 प्रतिशत SARRA द्वारा प्रदत्त अंश के रूप में किया जायेगा।

3.6 आवंटित की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल्स, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 एवं यथा संशोधित तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3.7 आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 एवं शासनादेश सं0 103/XXVII(7)32/2007/टी0सी0–1 दिनांक 21 जुलाई 2022 में निर्धारित प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3.8 आवंटित धनराशि को किसी भी स्तर पर आहरित कर बैंक खातों में पार्किंग न की जाए।

3.9 आवंटित धनराशि को यथाशीघ्र व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

3.10 सम्बन्धित जनपद एवं कार्यदायी संस्थाओं की Consolidated मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक माह SARRA को App / Dashboard पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन करते हुए उपलब्ध करायी गयी धनराशि समयान्तर्गत व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना अनुसार शासन को बजट मांग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मैदानी क्षेत्रों में भू–जल रिचार्ज सम्बन्धित योजनाओं के चयन, प्राथमिकता निर्धारण अनुमोदन एवं कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश–मार्गदर्शी सिद्धान्त को केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, देहरादून के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है जिसे यथाशीघ्र प्रेषित किया जायेगा।

**संलग्नकः–1. SoP**
**2. वार्षिक कार्ययोजना प्रारूप–1**
**3. जनपद स्तर पर उपचार गतिविधियों हेतु स्वीकृति सम्बन्धित प्रारूप–2**
**4. Format for Spring Rejuvenation Plan proposal**
**5. Format for Stream Treatment / Rejuvenation Plan proposal**

भवदीया,

**(नीना ग्रेवाल)**
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (SARRA)
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**पत्रांकः 90 /46-(10)/SARRA/ 2024-25 तद्दिनांकित**
प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ प्रेषित हेतु।

**(नीना ग्रेवाल)**
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (SARRA)
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**पत्रांकः 90 /46-(10)/SARRA/ 2024-25 तद्दिनांकित**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति SARRA. उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान विभाग, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
10. शाखा प्रबन्धक, HDFC, इन्दिरा नगर, देहरादून।

**(नीना ग्रेवाल)**
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (SARRA)
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

# स्प्रिंगशैड एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) के अंतर्गत वित्तीय प्रवाह, प्रबन्धन एवं व्यवस्थाएं

स्प्रिंगशैड एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) का गठन उत्तराखण्ड कैबिनेट के अनुमोदन उपरान्त शासनादेश संख्या 169384/2023 -07 (05)(XIII-A-1) 2023 दिनांक 17 नवम्बर 2023 द्वारा किया गया था। राज्य स्तर पर SARRA के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में जलागम विभाग के अधीन कार्य सम्पादित करेगी। SARRA हेतु बजट हैड, SND के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निरूपित किया जा चुका है। SARRA प्राधिकरण का क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण का पंजीकरण सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत सोसाईटी के रूप में पंजीकृत कर किया जा रहा है। उक्त अनुसार SARRA के अन्तर्गत वित्तीय प्रवाह प्रबन्धन एवं व्यवस्थाएं निम्न प्रकार निर्धारित की जा रही हैं।

SARRA हेतु एक SNA Account राज्य स्तर पर खोला जायेगा, जिसका संचालन शासनादेश संख्या 127544/33(150)2016/XXVII(1)/2023 दिनांक 05 जून, 2023 द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा। इस SNA Account में राज्य सरकार या अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि को रखा जायेगा। राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि जलागम विभाग के डी0डी0ओ0 जलागम निदेशालय के माध्यम से SARRA के SNA Account में हस्तान्तरित की जायेगी। उक्त SNA Account के वित्तीय प्रवाह के अनुश्रवण, नियंत्रण आदि के लिये सम्बन्धित बैंक द्वारा Dashboard निर्मित कर SARRA को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसका रखरखाव रखा जायेगा।

SARRA द्वारा SNA Account हेतु बैंक का चिन्हीकरण का आधार बैंक की उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में पहुंच तथा SNA Module की प्रभावशीलता एवं पहुंच पर मुख्यतः आधारित होगा। इस SNA Account की राज्य एवं समस्त जनपद स्तर पर Child Accounts खोले जायेगें। राज्य स्तर पर SNA Account का संचालन ACEO SARRA एवं Finance Controller के माध्यम से किया जायेगा। जनपद स्तर पर Child Account का संचालन जनपद स्तरीय DD SARRA द्वारा किया जायेगा। यह SNA Account Linked समस्त Child Accounts Zero Balance Accounts होगें।

यदि कार्यों हेतु जनपद स्तर पर पी0आई0ए0 चिन्हित किये जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन पी0आई0ए0 का भी जनपद स्तर पर Zero Balance Child Accounts खोले जायेगें तथा यदि पी0आई0ए0 द्वारा कार्यों का संचालन ग्राम स्तरीय धारा नौला संरक्षण समिति के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पी0आई0ए0 द्वारा ग्राम स्तरीय धारा नौला संरक्षण समिति के लिये Child Accounts खोला जायेगा।

## District SARRA Centre हेतु

जनपद स्तर पर गठित District SARRA Centre को सम्बन्धित स्टाफ के मानदेय/पारिश्रमिक, प्रशासनिक मद, संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास तथा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण इत्यादि मद का बजट सीधे

SARRA स्तर से जनपद के District SARRA Centre में होने वाले विभिन्न वचनबद्ध तथा उपरोक्त उल्लिखित कार्यों/मदों के व्ययों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त वचनबद्ध कार्यों/मदों के अन्तर्गत प्राप्त बजट का व्यय DD SARRA द्वारा किया जायेगा।

जनपद स्तर पर वार्षिक मास्टर प्लान का निरूपण Distict SARRA Centre द्वारा किया जायेगा। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत जनपद स्तर पर समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे Spring एवं नदी जीर्णोद्धार कार्यों का उल्लेख किया जायेगा। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यह कार्य अपने विभाग के द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के माध्यम से भी क्रियान्वित किये जा सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति (SARRA) से अनुमोदन प्राप्त करते हुये Critical Gap Funding हेतु SARRA के अंतर्गत निरूपित की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कर State SARRA Cell को राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य स्तर से वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन उपरांत DD SARRA कार्य योजना के अनुरूप विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को कार्यों हेतु धनराशि निर्गत कर सकेगा।

जनपद स्तर पर विभिन्न पी0आई0ए0 हेतु अनुमोदित विभिन्न क्षेत्र विशेष कार्य योजनाओं हेतु बजट प्रवाह त्रैमासिक रूप से किया जायेगा। DD SARRA द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अगले त्रैमास की किश्त अवमुक्त करने से पहले पूर्व अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

यद्यपि जनपद स्तर पर कई कार्य योजनाएं सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हों, परंतु जनपद स्तर पर सीमित बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद स्तरीय समिति द्वारा किये गये प्राथमिकता निर्धारण के अनुरूप विभिन्न कार्य योजनाओं हेतु राज्य स्तर से बजट अवमुक्त किया जायेगा।

## State SARRA Centre हेतु

राज्य स्तरीय SARRA Cell द्वारा जनपद स्तर से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना का परीक्षण उपरांत संकलन कर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति अथवा उच्चाधिकार प्राप्त समिति से यथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, तदोपरांत जनपद एवं State SARRA Cell के बजट मांग अनुरूप बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

**वित्तीय प्रबंधनः** SARRA को राज्य सरकार से प्राप्त बजट के अंतर्गत होने वाले समस्त व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली 2017 (यथा संशोधित) तथा तत्समय प्रचलित समस्त राज्य वित्तीय नियमों के अनुरूप किये जायेगें। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त बजट आधारित समस्त व्यय Fund प्रदाता संस्था के वित्तीय नियमों या अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप किया जायेगा। जनपद स्तर पर SARRA Centre हेतु DD SARRA कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य स्तर पर SARRA प्राधिकरण हेतु आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व ACEO SARRA निर्वहन करेगें।

**वित्तीय व्यवस्थाः** SARRA के माध्यम से प्राप्त बजट एवं भुगतान आदि के प्रबंधन के लिये समस्त स्तरों पर पृथक–पृथक रोकड़ बही संधारित की जायेगी, तथा प्रत्येक स्तर पर किये जाने वाले व्यय अनुरूप Statuary Dues का भुगतान कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।

**Audit :** SARRA अंतर्गत राज्य स्तर से प्राप्त बजट का ऑडिट नियमानुसार कराया जायेगा।

<u>संख्या– 169384/2023–07(05)(XIII-A-1)/2023</u>

**प्रेषक,**

**आनन्द बर्द्धन,**
**अपर मुख्य सचिव,**
**उत्तराखण्ड शासन।**

**सेवा में,**

**मुख्य परियोजना निदेशक,**
**जलागम प्रबन्ध निदेशालय,**
**उत्तराखण्ड, देहरादून।**

**जलागम अनुभाग** **देहरादून : दिनाँक : 17 नवम्बर, 2023**

**विषयः जलागम निदेशालय के अंतर्गत राज्य स्तरीय Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) की <u>स्थापना एवं पदों की संरचना</u> के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–375/11–08(II)पार्ट–5 दिनांक 29.09.2023 एवं शासनादेश संख्या–136251/2023–01(05)(XIII-A-1)/2023 दिनांक 10.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा मानव निर्मित कारकों से पिछले कुछ दशकों से राज्य में लगातार सूख रहे जल स्रोतों के कारण स्थानीय जनजीवन के लिये दिन–प्रतिदिन विषम होती जा रही परिस्थितियों के आलोक में राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण कर, वैज्ञानिक पद्धतियों से वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से चरणबद्ध रूप से उपचार करते हुए नदियों के पुनर्जीवन तथा जल स्रोतों में निरंतर प्रवाह के लक्ष्य प्राप्ति हेतु राज्य स्तर पर इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों को समेकित रूप से किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जलागम निदेशालयान्तर्गत राज्य स्तरीय Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) स्थापित किये जाने एवं पदों की संरचना का निर्णय लिया गया है।

**3–** राज्य स्तरीय Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) की स्थापना का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जल स्रोतों यथा छोटी नदियों, बड़ी नदियों, जलाशयों, तालाबों आदि समस्त जल स्रोतों के चिन्हीकरण, जल उर्त्सजन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण, वर्षा जल संग्रहण, जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण एवं रिजुवेनेशन, वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रवाह आदि हेतु स्थानीय जन सहभागिता से उपचार करते हुए सतत् उपयोग सुनिश्चित करना होगा। उल्लिखित अथॉरिटी (SARRA) द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार होंगे :–

**(क) आंकलनः–** राज्य के समस्त जल स्रोतों यथा धारा–नौला यथा वर्षा आधारित नदियों की स्थिति का आंकलन चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ किया जायेगा, जिसमें जल गुणवत्ता, जल बहाव/उर्त्सजन दर, जनसंख्या निर्भरता के दृष्टिगत स्रोतों के जल उर्त्सजन में कमी के प्रमुख कारकों को इंगित करते हुये राज्य के सभी जनपदों के जल स्रोतों एवं नदियों का एक Atlas तैयार किया जायेगा, जिसका उपयोग वर्षा जल संग्रहण



Generated from eOffice by MANOJ NAUTIYAL, SO-Watershed Section, SECTION OFFICER, Watershed Department on 17/11/2023 01:10 PM

तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग एवं नदियों को प्राथमिकता के आधार पर पुनरूद्धार/उपचारित किये जाने हेतु चिन्हित कर चरणबद्ध नियोजन हेतु किया जायेगा।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग एवं नदियों के पुनरूद्धार/उपचार हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिंद्धात भी निर्मित किये जायेगें, जिसे समस्त कार्यदायी संस्था/विभाग अपनाकर कियान्वित करेगें।

**(ख) नियोजन एवं वित्त पोषणः—** विभिन्न आंकलित स्प्रिंग एवं नदियों की प्राथमिकता हेतु निर्मित Atlas एवं मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप जनपद स्तर पर विभिन्न विभाग/कार्यदायी संस्थाएं वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से पुनरूद्धार योजनाओं का निर्माण करेंगी, जो सामान्यतः तीन से पांच वर्ष के लिए निर्मित की जायेंगी। इन कार्य योजनाओं के निर्माण हेतु जनपद स्तर पर SARRA Centre द्वारा यथा आवश्यक तकनीकी सहायता सम्बन्धितों को प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इन निर्मित कार्य योजनाओं का अनुमोदन जिला स्तर से किये जाने के पश्चात् राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी तथा इन कार्य योजनाओं का अनुमोदन सक्षम स्तर द्वारा किया जायेगा।

विभिन्न विभाग/कार्यदायी संस्थायें जो इस प्रकार की योजनाओं पर पूर्व से ही कार्य कर रही हों, अपने विभागीय बजट के अनुरूप कार्य योजना निर्मित कर कियान्वित करेंगी। इसके अतिरिक्त जलागम प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत पृथक से विभागीय बजट की व्यवस्था भी की जायेगी। इस कार्य हेतु केन्द्रपोषित योजनाओं/वाह्य सहायतित (EAP) से भी वित्त पोषण किया जा सकेगा।

नियोजन की प्रकिया में राज्य एवं भारत सरकार के स्तर के विभिन्न शोध संस्थानों/संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न स्तरों यथा राज्य तथा जिला स्तर पर इन संस्थानों/संस्थाओं का योजना के नियोजन, कियान्वयन एवं अनुश्रवण में सकिय सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

**(ग) क्रियान्वयनः—** नियोजन प्रक्रिया में चिन्हित किये गये विभिन्न जल स्रोतों यथा धारा—नौला नदियों आदि हेतु निर्मित कार्य योजना/वर्षा जल संरक्षण एवं चेकडैम आदि निर्माण के लिये तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु SARRA द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था कार्य योजना का कियान्वयन समुदाय की सहभागिता से मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप सुनिश्चित करेगें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का सतत् रूप से अनुरक्षण समुदायिक सहभागिता से किया जायेगा।

**(घ) मूल्यांकन एवं अनुश्रवणः—** SARRA द्वारा इन योजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था की जायेगी। इस कार्य हेतु बाह्य मूल्यांकन एजेंसी का उपयोग किया जाएगा, साथ ही स्प्रिंग एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण द्वारा चिन्हित स्प्रिंग एवं नदियों के पुनरोद्धार कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु एक Dash Board निर्मित कर समस्त गतिविधियों का नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा। सहभागी व्यवस्था के अंतर्गत जल स्रोतों के बहाव एवं जल गुणवत्ता का मूल्यांकन समय—समय पर सुनिश्चित किया जायेगा। SARRA द्वारा स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का Concurrent Monitoring तथा इस मूल्यांकन के अनुरूप आवश्यक संशोधन किया जायेगा।



Generated from eOffice by MANOJ NAUTIYAL, SO-Watershed Section, SECTION OFFICER, Watershed Department on 17/11/2023 01:10 PM

**(ङ.) क्षमता विकासः–** जल स्रोतों एवं नदियों के पुनरोद्धार हेतु प्रदेश के समस्त हितभागियों को इस विषय पर जागरूक किया जायेगा। राज्य, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें वैज्ञानिक रूप से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने तथा सहभागी अनुरक्षण की अवधारणा को व्यापक रूप से अपनाये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

4– राज्य स्तरीय Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। राज्य स्तरीय स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) का विभिन्न स्तरों पर स्वरूप निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है :–

**(1) उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC):–** प्रदेश स्तर पर समस्त जल स्रोतों के संरक्षण, रिजुवेनेशन, रिचार्ज, संरक्षण आदि यथा धारा–नौला (Spring), वर्षा जल संग्रहण कार्य, नदियों के संरक्षण, पुनरूद्धार कार्यों, योजनाओं के गठन परीक्षण, वित्तीय पोषण, कियान्वयन के अनुश्रवण आदि से सम्बन्धित योजनाओं हेतु समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :–

| | |
|---|---|
| 1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | **अध्यक्ष** |
| 2– अपर मुख्य सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड | **उपाध्यक्ष** |
| 3– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, जलागम | **सदस्य** |
| 4– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वन | **सदस्य** |
| 5– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि | **सदस्य** |
| 6– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास | **सदस्य** |
| 7– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पेयजल | **सदस्य** |
| 8– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व | **सदस्य** |
| 9– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज | **सदस्य** |
| 10–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास | **सदस्य** |
| 11–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, सिंचाई | **सदस्य** |
| 12–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, लघु सिंचाई | **सदस्य** |
| 13–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग | **सदस्य** |
| 14–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, आपदा प्रबन्धन | **सदस्य** |
| 15–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA | **सदस्य सचिव** |
| 16–प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) | **सदस्य** |
| 17–विभागाध्यक्ष, सिंचाई / पेयजल / जल संस्थान / ग्राम्य विकास / शहरी विकास / पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन / सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगे / नाबार्ड | **सदस्य** |
| 18–निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ, आई0आई0टी0 रूड़की / एन0आई0एच0 / जी0बी0पी0एन0आई0एच0ई0 अल्मोड़ा / आई0आई0एस0डब्ल्यू0सी0 देहरादून / वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान / आई0आई0आर0एस0 / आई0टी0डी0ए0 (यू–सैक) / क्षेत्रीय निदेशक, | |



Generated from eOffice by MANOJ NAUTIYAL, SO-Watershed Section, SECTION OFFICER, Watershed Department on 17/11/2023 01:10 PM

केन्द्रीय भूजल बोर्ड/केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून **सदस्य**

उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के अधिकार एवं दायित्व निम्नलिखित हैं:–

1. यह समिति प्रदेश स्तर पर वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि तथा धारा–नौला एवं नदियों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्यों सम्बन्धी योजनाओं के नियोजन, स्वीकृति, कियान्वयन एवं समन्वय आदि समस्त कार्यों के निष्पादन हेतु मार्गदर्शी सिद्धातों के निरूपण को अनुमोदित करेगी।
2. यह समिति रूपये 10 करोड़ से अधिक लागत के परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति तथा यथा आवश्यक इन प्रस्तावों की सीमा में संशोधन करेगी।
3. यह समिति राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रेषित वाह्य सहायतित परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी।
4. समिति SARRA हेतु निर्धारित विभिन्न नियमों/उप नियमों में कोई भी आवश्यक संशोधन/परिवर्तन कर सकेगी तथा नीतियों/उपायों/तकनीकों में यथा आवश्यक परिवर्तन हेतु सुझाव पर अन्तिम निर्णय देगी।
5. स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) के विभिन्न कार्यों/परामर्शदाता आदि के सम्बन्ध में प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेगी।
6. स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर अनुमोदन प्रदान करेगी।
8. सभी प्रयोजनों के लिए इस समिति को शासन के प्रशासनिक विभाग के समकक्ष अधिकार प्राप्त होंगे।
9. समिति वित्त पोषित एजेन्सी से अनुरोध कर सकती है कि निधि को घटकों के बीच में आवश्यकतानुसार पुनः निर्दिष्ट किया जा सके।
10. समय–समय पर योजनाओं की समीक्षा करना एवं त्वरित गति से योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश जारी करना।
11. SARRA हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थापित किये जाने वाले कार्यालयों एवं मानव संसाधनों के प्रस्ताव का अनुमोदन।
12. हाई पावर कमेटी वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी अधिकारों के प्रतिनिधायन तथा कार्य संचालन में होने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु निर्देश दे सकेगी।

**(2) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति:–**राज्य स्तर पर स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) की कार्यकारी समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जलागम प्रबन्धन **अध्यक्ष**
2– प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) **सदस्य**
3– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA **सदस्य**
4– अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA **सदस्य सचिव**
5– विभागाध्यक्ष, सिंचाई/पेयजल/जल संस्थान/ग्राम्य विकास/शहरी विकास/पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन/सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगे/नाबार्ड/कृषि/लघु सिंचाई **सदस्य**



Generated from eOffice by MANOJ NAUTIYAL, SO-Watershed Section, SECTION OFFICER, Watershed Department on 17/11/2023 01:10 PM

6– निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ एफ0आर0आई0, आई0आई0टी0रूड़की / एन0आई0एच0 / जी0बी0पी0एन0आई0एच0ई0अल्मोड़ा / आई0आई0एस0डब्ल्यू0सी0 देहरादून, वाडिया इन्स्टीट्यूट / आई0आई0आर0एस0 / आई0टी0डी0ए0 (यू–सैक) / केन्द्रीय भूजल बोर्ड / केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून **सदस्य**

7– वित्त नियंत्रक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय **सदस्य**

8– क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, जलागम, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल **सदस्य**

9– स्वयंसेवी संस्थाओं से नामित 02 व्यक्ति **सदस्य**

इस समिति के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे :–

**क.** राज्य स्तरीय स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किये जाने तथा By-laws के गठन की कार्यवाही मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SARRA द्वारा की जायेगी।

**ख.** यह समिति प्रदेश स्तर पर वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि तथा धारा–नौला एवं नदियों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्यों हेतु वार्षिक कार्य योजना पर HPC की संस्तुति प्राप्त करेगी तथा हाई पावर कमेटी द्वारा प्रतिनिधानित किसी भी कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

**ग.** यह समिति प्रदेश स्तर पर वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि तथा धारा–नौला एवं नदियों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्यों हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तैयार कर HPC को अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी।

**घ.** यह समिति प्रदेश स्तर पर वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि तथा धारा–नौला एवं नदियों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्यों तथा Critical धारा–नौला एवं वर्षा आधारित नदियों के चिन्हीकरण करेगी एवं उक्त के लिये निर्मित की गई कार्य योजनाओं का अनुमोदन करेगी।

ड. यह समिति 10 करोड़ रू0 तक की कार्य योजनाओं / प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी।

**च.** यह समिति मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु एक Dash Board निर्मित कर समस्त गतिविधियों का नियमित मूल्यांकन करेगी।

छ. यह समिति विभिन्न विभागों को उक्त समान प्रकृति के किये जा रहे कार्यों में उपलब्ध योजनाओं एवं संसाधनों का उपयोग चिन्हित Critical धारा–नौला एवं वर्षा अधारित नदियों के उपचार के लिये केन्द्रित करने हेतु आवश्यक अन्तर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगी।

**ज.** यह समिति SARRA अंतर्गत राज्य एवं जनपद स्तर हेतु विशेषज्ञों एवं कार्मिकों जिन्हें कंसलटेंसी एवं आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाना है, के टी0ओ0आर0 का अनुमोदन करेगी।

**झ.** यह समिति कार्य की आवश्यकतानुसार विभिन्न शोध संस्थानों के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 का अनुमोदन करेगी।

**(3) जिला स्तरीय कार्यकारी समितिः–** जिला स्तर पर स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) की कार्यकारी समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :–

Generated from eOffice by MANOJ NAUTIYAL, SO-Watershed Section, SECTION OFFICER, Watershed Department on 17/11/2023 01:10 PM

I/169384/2023

(6)

1– जिलाधिकारी **अध्यक्ष**
2– मुख्य विकास अधिकारी **उपाध्यक्ष**
3– सम्बन्धित जनपद के उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन **सदस्य सचिव**
4– प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) **सदस्य**
5– कृषि / ग्राम्य विकास / पेयजल / राजस्व / पंचायती राज / शहरी विकास / सिंचाई / लघु सिंचाई / आपदा प्रबन्धन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी **सदस्य**
6– सम्बन्धित क्षेत्र में जिले स्तर पर कार्य कर रहे भारत सरकार / राज्य सरकार के संस्थानों के प्रतिनिधि **सदस्य**
7– सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर रहे ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि **सदस्य**
8– धारा नौला संरक्षण समिति के 03 से 04 सदस्य रोटेशन के आधार पर **सदस्य**

इस समिति के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे :–

I. यह समिति जनपद स्तर पर विभिन्न स्प्रिंग उपचार एवं वर्षा आधारित नदियों के चिन्हीकरण, आधारभूत सर्वेक्षण, जी0आई0एस0 मैपिंग, वर्तमान स्थिति, संवेदनशीलता एवं आवश्यकता के अनुरूप वर्षा जल संरक्षण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से पुनरूद्धार / उपचार हेतु प्राथमिकता निर्धारित करते हुए नियोजन सम्बन्धी सुझाव तथा कार्ययोजना के निरूपण हेतु उत्तरदायी होगी।

II. यह समिति जनपद स्तर पर वर्षा जल संरक्षण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग उपचार एवं वर्षा आधारित नदियों के पुनरूद्धार / उपचार कार्यक्रमों / गतिविधियों में सम्मिलित रेखीय विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास हेतु उत्तरदायी होगी।

III. यह समिति वर्षा जल संरक्षण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग उपचार एवं पुनरूद्धार कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) को संकलित करेगी और विभिन्न कार्यदायी / रेखीय विभागों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्मित करने में जनपद स्तरीय SARRA Centre के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

IV. यह समिति जनपद में वर्षा जल संरक्षण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग उपचार एवं वर्षा आधारित नदियों के पुनरूद्धार हेतु जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य केन्द्राभिसरण एवं समन्वय हेतु प्रमुख भूमिका का निवर्हन करेगी।

V. यह समिति जनपद में पुनरूद्धार कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर सकेगी।

VI. जिला स्तरीय समिति वर्षा जल संरक्षण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग उपचार एवं वर्षा आधारित नदियों के पुनरूद्धार हेतु विभिन्न परियोजनाओं / योजनाओं / प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रदान करेगी।

VII. यह समिति रूपये 01 करोड़ तक के कार्य योजनाओं / प्रस्तावों का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान करेगी।


Generated from eOffice by MANOJ NAUTIYAL, SO-Watershed Section, SECTION OFFICER, Watershed Department on 17/11/2023 01:10 PM

(7)

I/169384/2023 VIII. यह समिति राज्य स्तरीय एजेंसी के साथ समन्वय में कार्य करेगी और आवश्यकता अनुसार Critical Gap Funding की स्वीकृति एवं अनुशंसा राज्य स्तर हेतु करेगी।

**(4) धारा नौला संरक्षण समितिः—** ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित जल प्रबन्धन समिति को विस्तारित कर **"धारा नौला संरक्षण समिति"** के रूप में निम्नवत गठित की जाती है :—

| | |
|---|---|
| 1— प्रधान, ग्राम पंचायत | **अध्यक्ष** |
| 2— ग्राम पंचायत की जल संरक्षण एवं जैव विवधता उप समिति के अध्यक्ष | **सदस्य** |
| 3— ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / इस क्षेत्र में कार्य कर रही कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि | **सदस्य सचिव** |
| 4— ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य | **सदस्य** |
| 5— सरपंच, वन पंचायत (वन पंचायत के क्षेत्रों में) | **सदस्य** |
| 6— ग्राम पंचायत से स्वयं सहायता समूह की 02 महिला सदस्य | **सदस्य** |
| 7— सम्बन्धित रेखीय विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिक—वन / पेयजल निगम / जल संस्थान / सिंचाई / लघु सिंचाई / ग्राम्य विकास / जलागम / कृषि आदि | **सदस्य** |

इस समिति के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे :—

I. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में **"धारा नौला संरक्षण समिति"** गठित की जायेगी।

II. यह समिति धारा—नौला एवं नदियों के उपचार की आवश्यकता एवं इनके सतत प्रबन्धन के सम्बन्ध में स्थानीय समुदाय को जागरूक कराने के लिए नियमित रूप से बैठकें और प्रशिक्षण आयोजित कराएगी। यह समिति ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न धारा—नौला एवं नदियों के चिन्हीकरण, उपचार हेतु प्राथमिकता निर्धारण, इन जल स्रोतों के उपचार हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी से नियोजन एवं अनुश्रवण प्रक्रिया सम्बन्धी गतिविधियों में समग्र भागीदारी सुनिश्चित करेगी तथा कार्य योजनाओं के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति को अपनी संस्तुति / कार्य योजना की सिफारिश / अनुरोध करेगी।

III. यह समिति वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग उपचार एवं नदियों के उपचार की आवश्यकता एवं इनके सतत प्रबन्धन के सम्बन्ध में स्थानीय समुदाय को जागरूक कराने के लिए नियमित रूप से बैठकें और प्रशिक्षण आयोजित कराएगी।

IV. यह समिति ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग उपचार एवं नदियों के चिन्हीकरण, उपचार हेतु प्राथमिकता निर्धारण, इन जल स्रोतों के उपचार हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी से नियोजन प्रक्रिया सम्बन्धी गतिविधियों में समग्र भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

V. ग्राम स्तर पर विभिन्न जल स्रोतों पर समुदाय की निर्भरता तथा संवेदनशील जल स्रोतों के चिन्हीकरण एवं प्राथमिकतावार इनके उपचार हेतु, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध विभिन्न योजनाओं / वित्तीय संसाधनों को उपचार गतिविधियों हेतु केन्द्राभिसरण के लिये आवश्यक प्रयास करेगी।



nerated from eOffice by MANOJ NAUTIYAL, SO-Watershed Section, SECTION OFFICER, Watershed Department on 17/11/2023 01:10 PM

I/169384/2023

VI. यह समिति विभिन्न उपचार गतिविधियों के परियोजना क्रियान्वयन विभाग के ग्राम स्तरीय कार्मिकों को नियोजन एवं क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

VII. गैर–वन क्षेत्रों में, यह समिति ग्राम वासियों की सक्रिय सहभागिता से सभी पुनरूद्धार सम्बन्धी कार्यों की देखरेख करेगी तथा इन क्षेत्रों में कार्यों के संचालन और निर्मित अभिसंरचनाओं के रखरखाव (ओ0 एण्ड एम0) की एक प्रणाली विकसित कर उसकी चिरंतरता हेतु कार्य करेगी।

5– उपरोक्तानुसार SARRA के गठन किये जाने एवं पदों की संरचना के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 10.07.2023 द्वारा फ्रीज किये गये विभिन्न श्रेणियों के 37 पदों **(परिशिष्ट–'क' 1–2)** को अनफ्रीज किये जाने तथा विभिन्न जनपदों एवं निदेशालय हेतु नये पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत कुल 52 **(परिशिष्ट–'ख' 1–2)** पदों पर विशेषज्ञों/तकनीकी/अन्य कार्मिकों को संविदा/आउटसोर्स पर रखे जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6– आउटसोर्स के पदों के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–111 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–922 दिनांक 11 अगस्त, 2023 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– SARRA से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु बजट व्यवस्था एवं लेखाशीर्षक पृथक से सृजित किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–I/169283/2023 दिनांक 16 नवम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

**संलग्नक–यथोपरि।**

Signed by Anand Bardhan
Date: 17-11-2023 12:51:03

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव

**संख्या : 169384/2023–07(05)(XIII-A-1)/2023 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), कौलागढ़, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।



Generated from eOffice by MANOJ NAUTIYAL, SO-Watershed Section, SECTION OFFICER, Watershed Department on 17/11/2023 01:10 PM

(9)

I/169384/2023

5. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. वरिष्ठ निजी सचिव–मा0 मंत्री, जलागम प्रबन्धन, उत्तराखण्ड सरकार।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अनुभाग–04 एवं 07, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Pradeep Joshi
Date: 17-11-2023 13:04:22

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

SPRING AND RIVER REJUVENATION AUTHORITY

SARRA